अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है कि वह कार्यवाही करेंगे । वह ऐसा ही कर रहे हैं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : सीमेंट की लागत तथा मूल्य के बारे में जाच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है । बहुत सी फैक्टरियां घटिया किस्म का सीमेंट बनाती है, जिसके कारण कई मकान धराशाही हो जाते है और राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट होती है । क्या यह समिति घटिया सीमेंट और सागोल नाम के नकली सीमेंट की रोक-थाम करने पर विचार करेगी और क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई कार्यवाही कर रहे है ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, no factory is allowed to make inferior quality of cement. And where mixing is done or any such thing is done outside, it is a crime. Last time also, in the House I submitted that if any thing of that type comes to the hon. Members notice, we will take necessary action against them.

PROF. K. K. TEWARY: The production of spurious cement has assumed the proportions of a menace. For example, I raised this matter in this House. There is an industry called Rohtas Industries in Bihar; and last year, the raids were conducted on their business premises, and they were found to be producing cement mixed with ashes and sand. I would like to know from the hon.. Minister as to what action has been initiated against them.

SHRI CHARANJIT CHANANA: I want notice for this particular case.

Central control on Law and order

\+

*147. PROF. AJIT KUMAR MEHTA:
SHRI B. D. SINGH:

Will the Mininster of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether considering the continued deterioration in the law and order situation in various parts of the country Government have considered the desirability of bringing law and order under the Central control;

(b) if so, the decision, if any, taken by Government in this matter; and

(c) if not, whether Government would consider the question?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (c). Law and order situation in the country has been showing consistent improvement since last year. The question of bringing 'Law and Order' under the Centres control does not arise.

प्रो० अजित कुमार मेहता अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर का खोखलापन अपने चारो तरफ देखने से और पिछले पाच सालो के आंकड़ो की तुलना से ही पता चला जायगा । फिर भी मैं थोड़ी पृष्ठिभूमि दे दूं . . .

अध्यक्ष महोदय पृष्ठ भूमि, नही, आप प्रश्न करिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता . दो चार लाइन कहना आवश्यक है ।

MR. SPEAKER: This is a question-answer session. So, please be specific.

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप जानते है कि वर्तमान आरक्षी बल का प्रशासन 1861 के पुलिस कानून के तहत होता है और यह कानून 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की औपनिवेशिक प्रतिक्रिया-स्वरूप अंग्रेजी राज मे बना था, तो इस से जाहिर है कि स्वतंत्र भारत के नागरिको की आकांक्षा इस से प्रतिबिम्बित नहीं होती है और उसी का परिणाम है ....

अध्यक्ष महोदय . आप तो लेक्चर करने लगे, प्रश्न करिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अभी एक सेकेंड में मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं ।

इसी कारण से पुलिस की आज तक कोई अच्छी परम्परा नहीं बनी जिस से कि वह स्वतन्त्र भारत के नागरिकों का सम्मान करे। इस सन्दर्भ मे मेरा प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की अनुशंसा के आलोक में क्या सरकार कोई ऐसा विधान निर्मित करने की सोचती है जिस से शासित हो कर पुलिस बल संविधान तथा सामान्य नागरिक के सम्मान के प्रति अधिक जिम्मेदारी की भावना से अनुप्रेरित हो ?

श्री योगेन्द्र मकवाना · यह तो पुलिस के बिहेवियर का सवाल है । उस में ट्रेनिंग देने से ही सुधार हो सकता है और हम ने इस के लिए पूरी कोशिश की है । पुलिस ट्रेनिंग का जो सिलेबस है उस में सुधार किया है और बिहैवियरल साइंस उस में इंट्रोड्यूस किया है ।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : अभी जो आरक्षी महानिरीक्षक की राज्यों में स्थिति है वह ऐसी है कि हर राज्य बदलने के साथ आरक्षी महानिरीक्षक बदले जाते है और उनके ऊपर हमेशा डेमोक्लियस की तलवार लटकी रहती है । दूसरी स्थिति ऐसी है कि उन का ही निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं होता है । तो इस से सबार्डिनेट्स में अनुशासनहीनता की भावना और असंतोष फैलता है और जब जब पुलिस में असंतोष फलता है तब तब अपराध म वृद्धि होती है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार यह सोचती है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सुझाव के अनुसार महानीरीक्षक के चयन के लिए जो समिति बनाने की अनुशंसा उन्होंने की है जिस में गृह सचिव, वरिष्ठ केन्द्रीय पुलिस अधिकारी, राज्यों के मुख्य सचिव और राज्यों के पुलिस चीफ रहेंगे, ऐसी चयन समिति के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना: Public order is a State subject. और उस में जो पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में कोई सुझाव दिया गया है उस को स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया है । वह जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वह तो स्टेट गवर्नमेंट को करने का है ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? और यदि बनाई है तो उसका क्या प्रारूप है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : पुलिस के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है । 1980–81 में 7.50करोड़ रुपया स्टेट्स को दिया गया और 1981–82 में 10 करोड़ रुपया दिया गया है । यह सब पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए है । यह उसकी मोबिलिटी के लिए, वायरलेस सेट्स के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और लेबोरेटरीज के सुधार के लिए है । यह सभी बातें उसमें आ जाती हैं जिसके लिए यह रुपया दिया गया है ।

SHRI G. M. BANATWALLA: The hon. Minister has said that the question of bringing law and order in the Central List does not arise I wish to draw his attention to a specific problem. If the law and order situation comes up in a State and the State does not seek Central assistance for its own reasons or convenience, then under that situation how will the Centre keep its vigilant eye on the situation? Further, even if the State

asks for assistance and your CRP and others go there, they have also to be deployed under the local instructions against which we often complain. Therefore, when such a situation comes up, do you have any particular thinking as to how to cope up with it in the absence of bringing law and order in the Central List or the Concurrent List?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Mr. Speaker, Sir, in the beginning, I said, public order is a State subject and there is no such thinking on the part of Centre to bring it under the Central List. Regarding the situation which was described by the hon. member perhaps he has in his mind the communal violence in different States. In that case, generally the State Government seek assistance from the Centre; and whenever it was necessary and whenever they had requested for it, we had sent the central forces, but ultimately they are the judge of the situation and they know where it is to be deployed. So, the deployment part is with the State Governments.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति में भले ही कुछ समय के लिए आपको सुधार नजर आता हो लेकिन जो फीगर्स बतलाती हैं उसके अनुसार देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति शोचनीय हो गई है। (व्यवधान) यह स्थिति दयनीय भी नहीं, एक प्रकार से कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। इसलिए आपको इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आज पूरे देश में जो माहौल बन रहा है उसमें किसी की भी जान सुरक्षित नहीं रह गई है। कम्युनल रायट्स से लेकर मर्डर्स और धर्म परिवर्तन भी हम लोग ही करवा रहे हैं। (व्यवधान) आतंकित हो कर लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर उतारू होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सदन में यह कहना कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है उसका आधार क्या है ? इस साल भी जो हमारे पास फीगर्स हैं उसके अनुसार 1979 में साम्प्रदायिक दंगे 304 हुए थे जो कि 1980 में बढ़ कर 421 हो गए। इसी प्रकार जहां मरने वालों की संख्या पहले 261 थी वह बढ़ कर 372 हो गई। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय साम्प्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या, डकैतियां, हत्यायें और कितने घायल हुए— इसका एक तुलनात्मक अध्ययन दो साल का बतलावें। (व्यवधान) इस प्रकार मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय किस आधार पर कह रहे है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है ? ऐसा कहने के लिए उनका क्राइटोरिया क्या है — इस बात को वे बतलायें।

गृह मंत्री (श्री ज्ञैल सिंह) : पासवान जी का यह कहना कि हालात बहुत खराब हो गए है बिल्कुल बेबुनियाद है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ दिल्ली की फीगर्स दे सकता हूं। दिल्ली में 14 फीसदी क्राइम्स में कमी हुई है। बाकी प्रान्तों में जो असेम्बलियां बैठी हुई है वहां पूछेंगे। बाकी प्रान्तों की फीगर्स भी मैं दे सकता हू लेकिन मैं यह बताना चहता हूं कि ला एण्ड आर्डर की पोजीशन इस बात से नहीं तौली जाती कि कितने कत्ल हुए है, कितने लोग मारे गए हैं और कितने जख्मी हुए हैं। यह कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही जगह पर बहुत बड़े हंगामे हो जायें और बहुत लोग मारे जायें, लेकिन कहीं-कहीं किस स्थान में ये कैसे हुए हैं, इसको देखना पड़ता है। साधारण तौर पर ला-एण्ड-आर्डर की पोजीशन क्राइम से गिनी जाती है। कम्यूनल दंगे कभी-कभी बड़ी तादाद में, बड़ी घिनती में होने से वहां लोगों की मौतें होती हैं और उसमें केवल एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर नहीं होता है, उसमें शरारत करने वाले जो शैतान के बच्चे हैं, उनका कसूर

होता है, बेशक वे किसी भी धर्म में अपना नाम रखते हों। इसलिए पासवान का यह कहना बिल्कुल गलत है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He is pointing the finger this side. (*Interruptions*).

SHRI K. LAKKAPPA: It is a matter of great satisfaction that the Government of India has taken many steps to maintain law and order throughout the country. But it is most unfortunate that certain political parties are planning and whipping up certain communal and regional forces in creating violence and also encouraging anti-social elements in some parts of the country. Will the hon. Home Minister take stern action to put down such elements and ask all political parties in the country to maintain peace in the country?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबिल मैम्बर की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त-से-सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमने प्रत्येक प्रान्तीय सरकारों को इस बात के लिए कहा है और मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि इस के लिए कोई सख्त कानून बनाना पड़ेगा, तो वह भी बनायेंगे। चाहे किसी भी पार्टी का बिलांग करता हो या न करता हो, जो भी हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ने की और हिन्दुस्तान के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए तथा फिरकेदाराना-जहर पैदा करने के लिए कोशिश करेगा, ऐसे तत्वों को सख्ती से कुचल देंगे। मुझे आशा है कि ये सब लोग और सारा हाउस इस बात पर सहमत होंगे। एक बात का जवाब, स्पीकर साहब, जैसा कि मुस्लिम लीग के मैम्बर ने कहा था, उसको मैं स्पष्ट कर दूं। उनका कहना था कि अगर....

श्री राजेश कुमार सिंह : ... **

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing is going on record without my permission.

श्री जैल सिंह : आप लोगों के सेंण्टीमेंट हमारे साथ है, हम सख्ती से कुचल देंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को आवंटन

*148. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को धन का आवंटन करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गए है; और

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा मंजूर किए गए मानदंड विभिन्न राज्यों में क्षेत्रों के आधार पर संसाधनों के वितरण पर लागू नहीं होते ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): (a) The Sixth Plan allocations for different States have been fixed on the basis of the agreed estimates of States' own resources and the Central assistance allocated to them in the light of decisions taken in the meeting of the National Development Council held on February 13-14, 1981.

(b) The Central assistance to States has been allocated in accordance with the Modified Gadgil Formula and the Income Adjusted Total Population (IATP) Formula and not on the basis of areas of individual States. However in the distribution of Central assistance for the development of Special Areas—hill areas and tribal areas in different States, weightage has been given to areas of the concerned States.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : नेशनल डवेलपमेंट कान्सिल की जो पिछली दफा

**Not recorded.